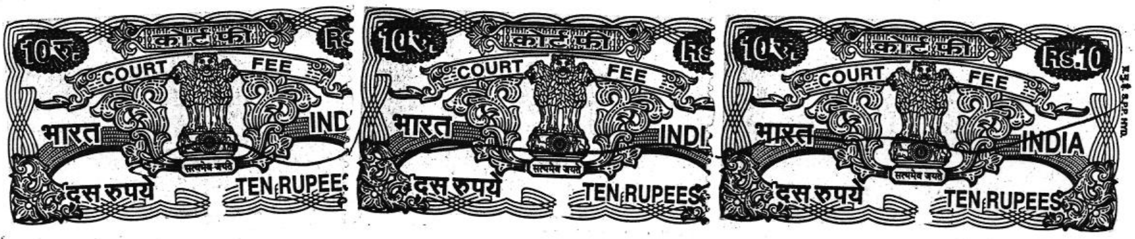

समक्ष :— न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)।

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक   /वर्ष 2012

R-1540-II/12

रतन सिंह पिता श्री मुन्नी लाल यादव उम्र 52 वर्ष
निवासी ग्राम मनौर, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0।   ———— आवेदक

बनाम

शासन मध्य प्रदेश ।   ———— अनावेदक

पुनरीक्षण कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0 पत्र कमांक 990/प्रवाचक/2010 दिनांक 15.03.2010 जिसके द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 10/अ—19/वर्ष 1992—93 आदेश दिनांक 09.05.1994 को किये गये व्यवस्थापन आदेश के आधार पर भूमि खसरा कमांक 42 रकवा 1.692 हे0 स्थित ग्राम मनौर, जिला पन्ना का किया गया विकय पत्र की जांच करने एवं उक्त भूमि का किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर भूमि मध्य प्रदेश शासन दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की, से दुःखित होकर।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

25.05.12

महोदय,

आवेदक की निम्नलिखित विनय है :—

01 यह कि आवेदक रतन सिंह पिता मुन्नी लाल यादव निवासी मनौर को

36

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.1540—दो / 2012 जिला—पन्ना

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
4—3—15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल पाठक उपस्थित । प्रकरण में उनके ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के प्रकरण कमांक 10 / अ—19 / वन / 1992—93 का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 9—5—1994 वन व्यवस्थापन अधिकारी पन्ना द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया है । 2— आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा पत्र कमांक 990 / प्रवाचक / 10 दिनांक 15—3—10 से खसरा कमांक 42 रकवा 1.692 हेक्टर स्थित ग्राम मनौर जिला पन्ना का किया गया विकय पत्र की जॉच करने एवं उक्त भूमि का किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर भूमि म0प्र0शासन दर्ज करने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । इसके समर्थन में आवेदक द्वारा कोई भी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही किस स्तर पर जारी है इसका भी प्रमाण आज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से यह प्रकरण तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	